

झारखण्ड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
प्राचार्य का कार्यालय
राजकीय पोलिटेकनिक, भागा (धनबाद)
(बी० आई० टी० सिन्दरी परिसर, पो०: मोतीनगर, धनबाद-828120)

: अंशकालीन व्याख्याताओं को कार्यानुमति देने हेतु साक्षात्कार की सूचना :

राजकीय पोलिटेकनिक, भागा (धनबाद) में पढ़न-पाढ़न को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्नलिखित विषयों/शाखाओं में अंशकालीन व्याख्याताओं के रूप में शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए कार्यानुमति देने हेतु योग्य अभ्यर्थियों से दिनांक: 29.06.2015 तक विस्तृत बायोडाटा विहित प्रपत्र में आमंत्रित किया जाता है। साक्षात्कार की तिथि की सूचना अभ्यर्थियों के मोबाईल/ईमेल पर दिया जायेगा। साक्षात्कार के दिन सभी अभ्यर्थी शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होंगे। विभिन्न शाखाओं/विषयों के लिए निर्धारित योग्यता निम्न प्रकार से है :-

क्र०सं०	शाखा/विषय का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1.	खनन अभियंत्रण	खनन अभियंत्रण शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक या समकक्ष डिग्री।
2.	यांत्रिक अभियंत्रण	यांत्रिक अभियंत्रण शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक या समकक्ष डिग्री।
3.	असैनिक अभियंत्रण	असैनिक अभियंत्रण शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक या समकक्ष डिग्री।
4.	कम्प्यूटर अभियंत्रण	कम्प्यूटर अभियंत्रण शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक या समकक्ष डिग्री।
5.	विद्युत अभियंत्रण	विद्युत अभि० में प्रथम श्रेणी से स्नातक या समकक्ष डिग्री।
6.	इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में प्रथम श्रेणी से स्नातक या समकक्ष डिग्री।
7.	भौतिक विज्ञान	भौतिक विज्ञान विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।
8.	रसायन विज्ञान	रसायन विज्ञान विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।
9.	गणित	गणित में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।
10.	अंग्रेजी	अंग्रेजी विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।

कार्य व शर्त :

1. यह कार्यानुमति अंशकालीन आधारित होगी। चयनित अभ्यर्थियों को प्रति व्याख्यान रू० 250/- (दो सौ पचास रुपये) अधिकतम रू० 12500/- (बारह हजार पाँच सौ रुपये) मात्र प्रतिमाह पारिश्रमिक देय होगा।
2. यह कार्यानुमति किसी भी रिक्त पद के विरुद्ध नहीं होगी। अतएव इस आधार पर नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे।
3. यह कार्यानुमति पूर्ण रूपेण अस्थायी होगी। बिना किसी सूचना के किसी समय बिना कारण बताए कार्यानुमति समाप्त की जा सकती है।
4. संबंधित विषय/शाखा में उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/पदस्थापन/स्थानान्तरण अथवा किसी अन्य तरीके से भरे जाने की स्थिति में या लगातार दो सप्ताह कार्य दिवसों में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर कार्यानुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

Contd. On Page- 2.....

